न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (5)

कमलादेवी वगै. बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	128	
	प्रक. 13/2016	
26-3-21	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्तागण ने प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है। जिसके निर्णय हेतु के लिये [illegible] पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो [illegible]	
	[signature]	
	खण्ड अधिकारी दौसा (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:50:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :- 13 / 2016
दायर दिनाकं :- 13.06.2016
निर्णय दिनांक :- 26.03.2021

उनवान

कमला देवी पत्नि रामेश्वर जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2 रामकिशन पुत्र पाँचू
3 रेखा पत्नि रामकरण
4 महेश पुत्र राकिशन
5 नवलकिशोर पुत्र रामकिशन

समस्त जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना-पत्र अ0 धारा 128 एल.आर.एक्ट

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम पीलवा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 रकबा 0.42 है0 भूमि स्थित है। उक्त [illegible] खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयां के नाम दर्ज है। [illegible] जरिये रजि0 विक्रय-पत्र के महादेव पुत्र पाँचू से खरीद किया है [illegible] के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:50:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

(6)

पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 5 का प्रार्थीया की खातेदारी भूमि से किसी प्रकार का कोई तालुक व वास्ता नही है परन्तु अप्रार्थी नम्बर 2 बिना अधिकार सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा करते है इसलिए प्रार्थीयां उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहती है ताकि सीमा सम्बन्धी कोई विवाद उत्पन्न नही हो।

अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश फरमाया जावे कि वे स्वयं मौके पर जाकर राजस्व कर्मचारियो की टीम गठित कर भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 0.17 है0 व खसरा नम्बर 83 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम पीलवा की पत्थरगढी की पैमाइश करने और चारो तरफ सीमाओ पर सीमा के पत्थर गाढे जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी के द्वारा उक्त पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र न्यायालय मे पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 बावजूद तामिल के न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार के द्वारा दिनांक 11.01.2021 को अंकित किया है कि पत्थरगढी की जाती है तो किसी प्रकार की आपति नही है। प्रार्थीया ने अपने पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र के साथ मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2014 पेश किया है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।

प्रार्थीयां के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयां के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीयां का पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीयां का पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 0.17 है0 व खसरा नम्बर 83 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम पीलवा की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो/गिरदावरों की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थीयां से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:50:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(7)

पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:50:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner